उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

संख्या : /उ0नि0लि0/म0प्र0(लेखा)/वे0एवंले0/(पें0/अ0वे0) अंशदान दिनांक : 22-10-13

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपकमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से सम्बन्धित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किये जाने विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या–जी–1–885 /दस–2006–534(11)/93 दिनांक 09 नवम्बर, 2006 सपठित शासनादेश संख्या–जी–1–828/दस –2007–534(11)/93 दिनांक 13 जून, 2008 को एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथावत् अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

संख्या : 2786 /उ0नि0लि0/म0प्र0(लेखा)/वे0एवंले0/(पें0/अ0वे0) तद्दिनांक :

प्रतिलिपि, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी–1–885 /दस–2006–534(11)/93 दिनांक 09.11.2006 एवं आदेश संख्या–जी–1–828/दस –2007–534(11)/93 दिनांक 13.06.2008 की छायाप्रति सहित, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध निदेशक (वित्त/तकनीकी/ कार्मिक), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, मा0सं0/वित्त/लेखा/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक/ अधी0अभि0(मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ0सं0/ रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं0 906, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. जन सूचना अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/ पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झांसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
10. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कट फाइल।

(वाई0के0 गुप्ता)
उप–मुख्य लेखाधिकारी (वे0 एवं ले0)

संख्या जी–1–885 / दस–2006–534(11) / 93

प्रेषक,

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: 9 नवम्बर, 2006

विषय: प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में वाह्य सेवा–अवधि से सम्बन्धित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

यदि कोई सरकारी कर्मचारी / अधिकारी किसी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, विश्वविद्यालयों स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होता है, तो उसकी वाह्य सेवा अवधि का पेंशन / अवकाश वेतन अंशदान वाह्य सेवायोजक अथवा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित होता है। उक्त अंशदान की दरें कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–1–2700 / दस–534 (10)–82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी–1–98 / दस–534 (11) –93, दिनांक 26 फरवरी, 1994 द्वारा निर्धारित की गई है।

2– वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के मूल नियम 115(ग) में यह प्राविधान है कि, यदि कोई सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उस अवधि का पेंशनरी / अवकाश वेतन अंशदान जमा कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सरकारी सेवक का है, जब तक सम्बन्धित वाह्य सेवा योजक ऐसा अंशदान जमा करने के लिये सहमत न हो जाये। इस अंशदान के जमा होने की पुष्टि न होने पर सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक देयों के निर्धारण में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में यदि वाह्य सेवावधि का पेंशन / अवकाश वेतन अंशदान सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी से जमा कराया जाता है, तो वह उसके लिये हानिकारक सिद्ध होता है।

—2—

3— वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2–4 के मूल नियम 119 के अन्तर्गत प्रदेश शासन को यह शक्ति प्राप्त है कि, वह किसी विशेष मामले में पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान कर दे। अतः प्रदेश शासन के अधीन गठित ऐसे स्वायत्तशासी संस्थान, उपक्रम, निगम आदि जो सक्षम स्तर के आदेशों के अन्तर्गत परिचालन में नहीं हैं अथवा शासन के अधीन नहीं रह गये हैं, उनमें वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी कर्मचारियों के मामले में शासनादेश संख्या जी–1–404/दस–2004–534(11)/93,दिनांक 28 अप्रैल, 2004 द्वारा, उपरोक्त अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान की गई है परन्तु इस सीमित छूट से सम्बन्धित पक्षों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

4— उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

(1) प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (जो अपने आवर्तक व्ययों का वहन करने के लिए पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक प्रदेश शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान पर निर्भर हैं), स्थानीय निकायों/जल संस्थानों/विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद इत्यादि एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों के मामले में तत्काल प्रभाव से वाह्य सेवा अवधि से सम्बन्धित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती है कि, इन उपक्रमों/संस्थाओं इत्यादि में वाह्य सेवा पर गये सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए गए अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश–वेतन वाह्य सेवा योजक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निगमों/उपक्रमों, जो रूग्ण घोषित हैं अथवा जिनके नेटवर्थ ऋणात्मक हैं, उनमें सरकारी अधिकारियों की पूर्व की वाह्य सेवा–अवधि से सम्बन्धित यदि कोई पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान भुगतान हेतु लम्बित है, उसके भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

(3) लेखों के उचित रख–रखाव के हित में दिनांक 01.04.2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के

अंतर्गत उपरोक्त (1) में वर्णित श्रेणी के उपक्रमों/ संस्थाओं/ निकायों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में वाह्य सेवायोजक द्वारा देय अंशदान के संबंध में भी छूट प्रदान की जाती है अर्थात ऐसे अंशदान को जमा करने का दायित्व शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

5— कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी–1–2700/दस–534 (10)–82, दिनांक 15 दिसम्बर, 1982 तथा जी–1–98/दस–534(11)–93, दिनांक 26 फरवरी, 1994 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6— उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या–जी–1–885(1)/दस–2006–534(11)/93,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर/ फैजाबाद/ वाराणसी/ इलाहाबाद/ कानपुर/ लखनऊ/ झांसी/ मेरठ/ बरेली/ मुरादाबाद /आगरा।
(5) इरला चेक अनुभाग।
(6) संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(9) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव तथा अनुसचिव।
(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(11) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या जी–1–828/दस–2007–534(11)-93

प्रेषक,

श्री वी० एन० दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2008

विषय :–प्रदेश के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट प्रदान किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006-534(11)-93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 द्वारा प्रदेश शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं सहकारी संस्थाओं में वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में वाह्य सेवा अवधि से संबंधित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा कराये जाने से कतिपय शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गयी है।

2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संगठनों में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में यदि पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान जमा कराये जाने से छूट प्रदान की गयी है, तो ऐसे प्रकरणों में निम्नांकित प्रमाण-पत्र (यथावश्यकतानुसार) भी निर्गत किया जाना आवश्यक है ताकि उन अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन भुगतानादेश जारी किए जाने में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो :–

(1) पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... .....
पदनाम.....विभाग का नाम.....में
अवधि.....से .....तक कार्यालय का नाम.....
.....में वाह्य सेवा पर कार्यरत रहें हैं। उक्त विभाग शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006-534(11)-93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण वाह्य सेवायोजक द्वारा देय पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा करने से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की जाती है कि इस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उपभोग किए गए अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा वहन किया जायेगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
सील
पदनाम/विभाग में कार्यरत
वरिष्ठतम लेखाधिकारी
विभाग/संस्था का नाम

(2) रूग्ण घोषित उपक्रमों के पेंशन अंशदान एवं अवकाश अंशदान से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पदनाम ....विभाग का नाम...में अवधि.................................से ....तक कार्यालय का नाम... में वाह्य सेवा पर कार्यरत रहें हैं। इस अवधि में विभाग का नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण विभाग रूग्ण होने के कारण विभाग शासनादेश संख्या जी--1--885/दस--2006-534(11)-93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर (2) में उल्लिखित श्रेणी के अन्तर्गत है। अतः इस विभाग को वाह्य सेवायोजक द्वारा देय पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान जमा किए जाने से छूट प्रदान है।

दिनांक..........................

हस्ताक्षर
सील
पदनाम/विभाग में कार्यरत
वरिष्ठतम् लेखाधिकारी
विभाग/संस्था का नाम

प्रतिहस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष

3--शासनादेश संख्या जी--1--885/दस--2006-534(11)-93, दिनांक 09 नवम्बर, 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
बी० एन० दीक्षित,
सचिव।

संख्या जी--1--828/दस--2007-534(11)-93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन।
2--निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
3--समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
4--मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर/फैजाबाद/ वाराणसी/इलाहाबाद/ कानपुर/लखनऊ/झांसी/मेरठ/बरेली/ मुरादाबाद/ आगरा।
5--इरला चेक अनुभाग।
6--संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।
7--निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8--विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
9--राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
10--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11--वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव।
12--गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० --ए०पी० 25 सा० वित्त--3-7-2008--(658)--10,000--(कम्प्यूटर/आफसेट)।
35 Sa. Vit-Neel

17